राजस्थान सरकार
निदेशालय मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर

क्रमांकःएफ.2(4)निम / लेखा / ठेका / 2021–22 / 28687 दिनांकः 03.03.2021

जलाशयों को लीज पर देने बाबत नीलामी बोली सूचना 02

राज्य में स्थित ''ख'' श्रेणी के मत्स्य विभाग के अधीन जलाशयों (आरक्षित कुल राशि रू. **36.90** लाख) में वर्ष 2021–22 से 5 वर्ष के लिये मत्स्याखेट के अधिकार आंवटन हेतु नीलामी बोली दिनांक 30.03.2021 को दोपहर 1.00 बजे तक विक्रय तथा दोपहर 2.00 बजे तक जमा की जाएगी तथा बोलीयां इसी दिनांक को दोपहर 2.30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। नीलामी बोली की संबंधित विस्तृत सूचना एवं शर्तें मत्स्य विभाग की वेबसाइट www.fisheries.rajasthan.gov.in एवं आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर की वेबसाइट www.diprrajasthan.gov.in पर अथवा कार्यालय में सम्पर्क कर देखी जा सकती है।

नीलामी बोली से सम्बन्धित सभी अधिकार निदेशक, मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर के पास सुरक्षित रहेगें।

निदेशक

दुरभाष सं. 0141—2742548

राजस्थान सरकार
निदेशालय मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर

क्रमांकः एफ.2(4)निम / लेखा / ठेका / 2021—22 / 28687 दिनांकः 03.03.2021

जलाशयों को लीज पर देने बाबत नीलामी बोली सूचना 02

राज्य में स्थित ''ख'' विभिन्न श्रेणी के मत्स्य विभाग के अधीन जलाशयों में मत्स्याखेट के अधिकार वर्ष 2021—22 से 5 वर्ष के लिए आवंटन हेतु नीलामी बोली आमन्त्रित की जाती हैं।

क्र. सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2021—22 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)
	जिला जयपुर		
1	बंध आकेडा उर्फ भावसागर	**0.10**	**1000**
	जिला अजमेर		
2	बंध सिंदुर सागर	**0.30**	**3000**
	जिला जोधपुर		
3	बंध उम्मेदसागर (जोधपुर शहर)	**0.50**	**5000**
	जिला बांसवाडा		
4	बंध कागदी पिक अप वीयर	**0.40**	**4000**
5	नदी माही (मुख्य डेम साईट से नीचे की ओर अगरपुरा पुल तक निषिद्ध क्षेत्र को छोडकर) जिला बांसवाडा	**1.60**	**16000**
	जिला करौली		
6	बंध जलसैन (हिण्डौन सिटी)	**1.00**	**10000**
	जिला टोंक		
7	बंध राठौडिया	**1.00**	**10000**
8	कलंदरों की नाड़ी	**0.20**	**2000**
	जिला झालावाड		
9	बंध बोरबंद तह. अकलेरा	**0.50**	**5000**
10	बंध नया तालाब	**2.00**	**20000**
11	नदी छोटी कालीसिंध तहसील गंगाधार झालावाड	**4.00**	**40000**
12	नदी छापी	**0.90**	**9000**
	जिला भीलवाडा		
13	बंध गांधीसागर	**2.50**	**25000**
14	नदी मैनाली ''फलासिया गांव से जोजवा पुलिया के नीचे के देह से कालिया देह तक'' तहसील माण्डलगढ जिला — भीलवाडा	**1.00**	**10000**

	जिला पाली		
15	बंध बोखी का बाला	**0.50**	**5000**
16	बंध मण्डली	**0.50**	**5000**
	जिला सिरोही		
17	बंध भैंसा सिंह	**4.00**	**40000**
	जिला उदयपुर		
18	बंध आकोदड़ा	**2.00**	**20000**
	जिला धौलपुर		
19	नदी पार्वती आंगई डैम के नीचे से लेकर सिलावट तक राजस्थान उत्तर प्रदेश सीमा	**3.50**	**35000**
	जिला बूंदी		
20	नदी खुराड बन का खेडा से पीपलदा	**1.50**	**15000**
21	नदी मांगली	**2.70**	**27000**
22	नदी घोडा पछाड (फाटी शिला गरडदा से बन का खेडा तक मय एनीकटस)	**4.00**	**40000**
23	बंध इन्द्रगढ़ तालाब (इन्द्रगढ़)	**0.10**	**1000**
	जिला चित्तौडगढ़		
24	नदी मोडिया महादेव मोडिया महादेव बंध से लेकर बंध बस्सी केवडिया गांव तक (सैन्चयूरी एरिया छोडकर) बस्सी केवडिया गांव तक (सैन्चयूरी एरिया छोडकर)	**1.00**	**10000**
25	नदी बागन, बागन डेम के नीचे से लेकर भूतिया गांव एनीकट तक	**0.70**	**7000**
26	नदी औराई बस्सी डेम के आवरफ्लो से भेडंच नदी तक	**0.40**	**4000**

नीलामी बोली प्रपत्र मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड़, जयपुर कार्यालय से कार्य दिवस में रूपये 400/– नकद/बैंक ड्राफ्ट देकर प्राप्त किये जा सकते हैं। बोलीदाता चाहे तो मत्स्य विभाग की वेबसाइट www.fisheries.rajasthan.gov.in एवं आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर की वेबसाइट www.diprrajasthan.gov.in से टेण्डर फार्म डाउनलोड कर निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करवा सकता है, परन्तु डाउनलोड प्रपत्र के साथ नीलामी बोली शुल्क रूपये 400/– का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के साथ पृथक से जमा कराना होगा। नीलामी बोली के साथ बोलीदाता को जलाशय की आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर नीलामी बोली के साथ जमा कराना होगा। अमानत राशि के अभाव में नीलामी बोली निरस्त योग्य होगी। **अमानता राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक निदेशक, मत्स्य विभाग, जयपुर के पक्ष में देय होगा।** नीलामी बोली दिनांक **30.03.2021** को दोपहर 1.00 बजे तक विक्रय तथा दोपहर 2.00 बजे तक जमा की जाएगी तथा उसी दिनांक को दोपहर 2.30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। नीलामी बोली की विस्तृत शर्तें, अमानत राशि का विवरण वेबसाईट पर अथवा कार्यालय में सम्पर्क कर देखा जा सकता है। नीलामी बोली से संबंधित सभी अधिकार निदेशक मत्स्य के पास सुरक्षित रहेंगे।

निदेशक

क्रमांकः एफ2(4)निम/लेखा/ठेका/2021–22/ 28688 दिनांकः 03.03.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1 संयुक्त शासन सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त ——————————

3 आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित कर अनुरोध है कि इस नीलामी निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन विस्तृत प्रचार हेतु एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र के सभी संस्करणों में तथा एक किसी ट्रेड जनरल में जो नीलामी बोलियां आमन्त्रित करने की सूचनाओं को प्रकाशित करने की विशेषज्ञता रखता हो, में नीलामी बोली विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का श्रम कराएं।

4 मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर।

5 समस्त राज्यों के निदेशक/आयुक्त, मत्स्य विभाग को भेजकर अनुरोध हे कि आपके राज्य के मत्स्य ठेकेदारों को सूचित करने का कष्ट करें।

6 समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,——————————को भेजकर लेख है कि आप अपने अधीन समस्त विकास अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों को नीलामी निविदा विज्ञप्ति से सूचित करने का श्रम करें।

7 संयुक्त निदेशक मत्स्य, राजस्थान, जयपुर।

8 सहायक निदेशक मत्स्य (योजना) राज. जयपुर

9 समस्त सहायक निदेशक मत्स्य,——————————

10 समस्त मत्स्य विकास/ परियोजना अधिकारी——————————

11 कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय मत्स्य, जयपुर।

12 रोकड शाखा/भण्डार शाखा/संस्थापन निदेशालय मत्स्य, जयपुर।

13 श्री राजकुमार मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को भेजकर लेख हैं कि उक्त अधिसूचना को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करें।

14 नोटिस बोर्ड निदेशालय, मत्स्य, राजस्थान, जयपुर/रक्षित पत्रावली।

15 समस्त मत्स्य ठेकेदार।

निदेशक

राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग

नीलामी बोली प्रपत्र **नीलामी बोली खोलने की दिनांक 30.03.2021**

विषयः– **'ख'** श्रेणी के जलाशयों /नदियों/नहरों एवं नगर निगम/नगर परिषद/ नगरपालिका सीमा में आने वाले 'ख','ग' व 'घ' श्रेणी के जलाशयों को मत्स्याखेट ठेके वर्ष 2021–22 में मत्स्य नियम 1958 व संशोधित नियमों के प्रावधान अनुसार नीलामी बोली प्रपत्र।

1– बोलीदाता का नामः– ————————————————————————
————————————————————————

2– पिता/पति का नामः– ————————————————————————

3– (1) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता मय पिन कोड़ :– ————————————————
————————————————————————————————
————————————————————————————————

दूरभाष नम्बर – ————————————————————————

मोबाइल नम्बर– ————————————————————————

(2) स्थाई पताः————————————————————————
————————————————————————————————

4– संदर्भः– नीलामी बोली विज्ञप्ति क्रमांकः– एफ.2 (4) निम /लेखा /ठेका /2020–21/28687 दिनांकः 03.03.2021

5– पता जिस पर नीलामी बोली भेजनी है :– निदेशक मत्स्य विभाग, राज0, जयपुर। पशुधन भवन, गांधीनगर मोड, जयपुर।

6– नीलामी बोली शुल्क रूपये 400/– नकद रसीद संख्या————————————

दिनांक ——————————अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या————————————

दिनांक ——————————

7– नीलामी बोली विज्ञप्ति की शर्तानुसार जमा कराये गये/जाने वाली अमानता राशि का विवरणः–

बैंक ड्राफ्ट **क्रमांक** **दिनांक**

राशि————————————————————————————————
————————————————————————————————————
————————————————————————

मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी की गई नीलामी बोली विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 2(4)निम/लेखा/ठेका/2021–22/ 28687 दिनांक 03.03.2021 में वर्णित सभी शर्ते पढ़ ली है तथा संलग्न शर्तो पर मैंने/हमनें हस्ताक्षर कर दिये है तथा मुझे/हमें सभी शर्ते मान्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग

स्टेजेज बढोतरी आधार पर जलाशयों को मत्स्याखेट हेतु ठेके पर दिये जाने के सम्बन्ध में ठेकों की नीलामी बोली की शर्तेः—

नीलामी बोली की शर्ते वर्ष 2021—22

1 प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी बोली के साथ जलाशय की आरक्षित राशि के आधार पर आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत राशि (जलाशय के सामने अंकितानुसार) अमानता राशि जमा करानी होगी।

2 नीलामी बोली के लिए समय सारणी निम्न प्रकार हैः—

नीलामी बोली विक्रय की अंतिम दिनांक व समय	नीलामी बोली जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	नीलामी बोली खोलने की दिनांक व समय	जलाशय जिनकी नीलामी बोली मांगी जा रही हैं
दिनांक 30.03.2021 अपरान्ह 1.00 बजे तक	दिनांक 30.03.2021 अपरान्ह 2.00 बजे तक	दिनांक 30.03.2021 अपरान्ह 2.30 बजे	'ख', 'ग' एवं 'घ' प्रवर्ग के जलाशय (नीलामी बोली प्रपत्र में दिये गये विवरणानुसार)

3 **प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी बोली के साथ प्रत्येक जलाशय की अलग अलग 10 प्रतिशत अमानता राशि के बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर के नाम से देय होगा** नीलामी बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। अमानता के लिये चैक व लिफाफे में रखी गई राशि मान्य नहीं होगी। बिना अमानता राशि की निविदा मान्य नहीं होगी।

4 अमानता राशि यदि कम जमा कराई जाती है तो उस नीलामी बोली पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

5 सभी प्रवर्ग के विनिर्दिष्ट जलाशयों को पहले से विहित प्रक्रिया के अनुसार स्टेजेज बढोतरी के आधार पर सामान्यतः 5 वर्षो की समयावधि के लिए पट्टे पर दिया जा सकेगा। पट्टेदार को प्रतिवर्ष पट्टे धन की संचयी बढती रकम का संदाय करना आवश्यक होगा। ऐसी बढोत्तरी पूर्ववर्ती वर्ष की पट्टा रकम का 12 प्रतिशत होगी। तद्नुसार आगामी वर्ष के लिए बढी हुई पट्टे (लीज) राशि का 1/4 राशि चालू वर्ष की 31 जनवरी तक बढी हुई प्रतिभूति राशि सहित जमा कराई जानी होगी तथा शेष 3/4 पट्टा (लीज) राशि 15 मार्च तक जमा कराई जानी होगी। यदि पट्टेदार उपरोक्त विहित कालावधि के भीतर पट्टा रकम जमा कराने पर असफल रहता है तो पश्चातवर्ती वर्ष के लिए मछली पकड़ने की अनुमति रद्द कर दी जायेगी तथा जलाशय को पुनः ठेके पर दिया जाएगा।

6 बोलीदाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

7 बोलीदाता को अपनी नीलामी बोली को वापस लेने अथवा दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।

8 सफल बोलीदाता को अपनी नीलामी बोली राशि की चौथान राशि (1/4 राशि) निर्देश पर उसी दिन जमा करानी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा कराई गई अमानता राशि को जब्त कर लिया जायेगा। शेष 3/4 राशि स्वीकृति जारी होने के 30 दिवस में जमा कराई जाकर कुल नीलामी बोली रकम का साढे सात प्रतिशत (7.5) की दर से प्रतिभूति राशि 3/4 राशि के साथ अथवा अनुज्ञा पत्र लेते समय जमा करवायी जाकर स्वयं उपस्थित होकर अनुबन्ध कर अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा। **विभाग को देय समस्त राशि निदेशक मत्स्य, राज0 जयपुर के नाम देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी।** बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई उसी जलाशय की अमानता राशि को चौथान राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

9 निदेशक मत्स्य/नीलामी बोली समिति को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10 बोलीदाता को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मीन अधिनियम, 1953 तथा मीन नियम 1958 व समय समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत बनायी गयी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पडेगा।

11 ठेकेदार को निविदा में अंकित जलाशयों जैसे बंध/नहर/तालाब/नदी आदि में पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या नहीं पकड सकने के कारण तथा अन्य किसी कारण से होने वाले नुकसान आदि के लिए किसी प्रकार का हर्जा या मुआवजा प्राप्त करने हेतु किसी न्यायालय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा।

12. जलाशय में विभागीय परियोजनाएं यथा स्पोर्ट फिशिंग, केज/पैन कल्चर आदि प्रारम्भ की जाने पर बोलीदाता तदनुसार विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु बाध्य होगा।

13. बोलीदाता द्वारा जलाशय अन्य किसी भी ठेकेदार को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी कारणवश किसी जलाशय पर मनोनीत सदस्य नियुक्त किया जाता है तो नियमानुसार शुल्क जमा कराकर अधिकार पत्र प्राप्त करके सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी/क्षेत्रीय उप निदेशक मत्स्य/निदेशक मत्स्य को उसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित कर मनोनयन हेतु सक्षम अधिकारी की मान्यता प्राप्त करेगा अन्यथा अधिकार पत्र न होने की दशा में जलाशय पर मत्स्याखेट अवैधानिक माना जाकर जब्ती की कार्यवाही की जाएगी।

14. पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों की ओर से केवल समिति के प्रस्ताव पर मनोनीत सदस्यों को नीलामी बोली देने का अधिकार होगा। इन्हें प्रमाणित दस्तावेज नीलामी बोली प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा इसके बाद ही 5 प्रतिशत कीमत अधिमान् का लाभ देय होगा। कम्पनी/फर्म या अन्य संस्थाओं के मामले में भी संस्था अध्यक्ष/एम.डी./सी.ई.ओ./ई.डी./प्रोपराइटर/पार्टनर आदि अधिकृत व्यक्ति को प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

15. अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर सम्बन्धित बोलीदाता को जलाशय का मूल अनुज्ञा पत्र व समस्त लेबर परमिट तथा पाक्षिक पकडी गई मछली के ब्यौरे वाला प्रपत्र आदि निदेशक मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर को जमा कराने होंगे।

16. यदि किसी जलाशय के लिए विशेष नीलामी बोली शर्त उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त होगी या नीलामी बोली की शर्तों में कोई संशोधन/परिवर्धन होगा तो निविदा खोलने के पूर्व कमेटी द्वारा घोषित कर अंकित कर दी जाएगी।

17. राजस्थान मत्स्य क्षेत्र (संशोधित नियम 1991) के प्रारूप 3 की शर्त संख्या 6 व प्रारूप (3) (1) की शर्त संख्या–8 के अनुसार निविदाएं आमंत्रित करके/ नीलामी बोली के द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति प्रतिवर्ष जारी किये जाने की तारीख से 31 मार्च तक प्रवृत्त रहेगी।

18. सफल बोलीदाता द्वारा चौथान राशि जमा कराने के बाद ही अन्य बोलीदाताओं को धरोहर राशि लौटाई जाएगी।

19. नीलामी बोली खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवं तार व पत्र मान्य नहीं होगा। तार द्वारा दी गई निविदा मान्य नहीं होगी।

20. बोलीदाता को नीलामी बोली प्रपत्र में अपना सही पता अंकित करना होगा। संपूर्ण पते के अभाव में यदि कोई पत्रादि/सूचनाबोलीदाता के पास नहीं पहुचेगी तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

21. अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी से लेबर परमिट प्राप्त करना होगा तथा मछली पकडने का कार्य प्रारम्भ करने व बन्द करने की सूचना पूर्व में ही संबन्धित मत्स्य अधिकारी को लिखित में देनी होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

22. जलाशय में मत्स्य बीज, खाद आदि का संग्रहण सम्बन्धित मत्स्य विकास अधिकारी से प्रमाणित कराकर उनकी उपस्थिति में किया जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। मत्स्य बीज संग्रहण ठेकेदार द्वारा आवश्यक रूप से केवल दिन के उजाले में ही किया जाएगा। बीज संग्रहण किये जाने की पूर्व सूचना ठेकेदार द्वारा संबंधित जिला मत्स्य अधिकारी को कम से कम दो दिन पूर्व देनी होगी। संबंधित अधिकारी से प्रमाणित कराए बिना ठेकेदार द्वारा किया गया मत्स्य बीज संग्रहण मान्य नहीं होगा। जलाशय में मत्स्य बीज संचय करने की अनुमानित संख्या ठेकेदार को अनुबंध/अनुज्ञापत्र जारी करते समय सूचित कर दी जाएगी। अनुमोदित मत्स्य बीज जलाशय में संचय नहीं करने की स्थिति में ठेका/अनुज्ञापत्र निरस्त करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

23. चालू वर्ष के ठेके की राशि एंव आगामी वर्ष के लिए नवीनीकरण की राशि मय प्रतिभूति राशि जमा कराने के लिए पृथक से सूचित नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं कराने के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

24. मेरे द्वारा सभी नीलामी बोली की शर्तें स्वीकार की गई और ये शर्तें मेरे द्वारा विभाग के साथ किये गये अनुबंध का भाग मानी जाएगी।

25. निवास स्थान का पता एवं नाम जो भी नीलामी बोली प्रपत्र में अंकित किया जायेगा उसका स्वहस्ताक्षरित फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति निविदा प्रपत्र (विभाग से क्रय/वेबसाईट से डाउनलोड़) के साथ संलग्न करनी होगी।

26. स्टाम्प एक्ट के आर्टिकल के तहत पंजीयन शुल्क देय होगा तो उसका भुगतान पट्टेदार को देना होगा।

27. नीलामी बोली के पश्चात यदि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कोई कर/सर्विस टैक्स मत्स्याखेट पर आरोपित किया जाता है तो उसे स्वीकृत बोलीदाता द्वारा अलग से देय होगा।

28. जलाशय के प्रभावी जलक्षेत्र का 5 प्रतिशत विभाग/राज्य सरकार से संबंधित कार्यों, आर. एण्ड डी. एवं केज कल्चर के लिए केजेज स्थापित करने का सम्मिलित करते हुए आरक्षित रहेगा।

29. मत्स्याखेट हेतु काम में आने वाली नावों का पंजीकरण निर्धारित प्रपत्र में संबंधित कार्यालय में करवाना आवश्यक हैं मत्स्याखेट से पूर्व नावों पर नियमानुसार पंजीकरण क्रमांक, चेतावनी एवं मत्स्य ठेकेदार का नाम व ठेका वर्ष नावों पर अंकित कराना आवश्यक है। नाव में सवार होने से पूर्व प्रत्येक नाविक/मछुआरा को सेफ्टी जैकेट (लाईफ जैकेट) पहनना आवश्यक है।

30. समस्त बोलीदाताओं को भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं निदेशालय मत्स्य विभाग द्वारा कोविड–19 की पालना हेतु जारी गाईड लाईन के दिशा निर्देशो यथा मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाना, बोलीदाता के केवल साथ एक ही अतिरिक्त व्यक्ति परिसर में आ सकेगा तथा समय–समय पर जारी निर्देशो की पालना करनी होगी।

31. समस्त न्यायिक विवादो का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर होगा।

32. मत्स्य ठेकेदार/मत्स्य कृषक महाशीर मछली का आखेट नहीं करेगा। यदि मत्स्याखेट के दौरान जाल में कोई महाशीर मछली आ भी जाती है तो उसे तुरन्त जीवित अवस्था में वापस पानी में छोड दिया जाएगा।

33. यदि कोई मत्स्य ठेकेदार जलाशय में मत्स्याखेट/मछली परिवहन हेतु इंजनयुक्त नावों का प्रयोग करना चाहता है, तो संबंधित परिवहन कार्यालय में इंजनयुक्त नावों का पंजीकरण करवाकर ही प्रयोग करेगा।

34. मैंने/हम बोलीदाताओं ने राजकीय मछली ठेकों की निविदा की उपरोक्त सभी शर्ते पढ़ ली है। उक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मान्य हैं, तथा मंजूरी के हस्ताक्षर मैंने/हमने अपनी राजी–खुशी बिना किसी दबाव के पूर्ण होशो–हवास में किये हैं तथा मुझे/हमें पूर्ण रूप से सभी शर्तें मान्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग

मत्स्याखेट वर्ष 2021–22 में राजस्थान मीन नियम 1958 के संशोधित नियम वर्ष 1997 एवं वर्ष 2003 के नियम 5 (1) (ड.) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट 'ख', 'ग' व 'घ' प्रवर्ग के जलाशयों/ नदियों/नहरों एवं नगर निगम/ नगर परिषद/ नगरपालिका सीमा में आने वाले 'ख', 'ग' व 'घ' श्रेणी के जलाशयों हेतु दर अंकित करने हेतु तालिका :–

क्र. सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2021–22 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि
	जिला जयपुर			
1	बंध आकेडा उर्फ भावसागर	**0.10**	**1000**	
	जिला अजमेर			
2	बंध सिंदुर सागर	**0.30**	**3000**	
	जिला जोधपुर			
3	बंध उम्मेदसागर (जोधपुर शहर)	**0.50**	**5000**	
	जिला बांसवाडा			
4	बंध कागदी पिक अप वीयर	**0.40**	**4000**	
5	नदी माही (मुख्य डेम साईट से नीचे की ओर अगरपुरा पुल तक निषिद्ध क्षेत्र को छोडकर) जिला बांसवाडा	**1.60**	**16000**	
	जिला करौली			
6	बंध जलसैन (हिण्डौन सिटी)	**1.00**	**10000**	
	जिला टोंक			
7	बंध राठौडिया	**1.00**	**10000**	
8	कलंदरों की नाड़ी	**0.20**	**2000**	
	जिला झालावाड			
9	बंध बोरबंद तह. अकलेरा	**0.50**	**5000**	
10	बंध नया तालाब	**2.00**	**20000**	
11	नदी छोटी कालीसिंध तहसील गंगाधार झालावाड	**4.00**	**40000**	
12	नदी छापी	**0.90**	**9000**	
	जिला भीलवाडा			
13	बंध गांधीसागर	**2.50**	**25000**	

14	नदी मैनाली ''फलासिया गांव से जोजवा पुलिया के नीचे के देह से कालिया देह तक'' तहसील माण्डलगढ जिला – भीलवाडा	**1.00**	**10000**	
	जिला पाली			
15	बंध बोखी का बाला	**0.50**	**5000**	
16	बंध मण्डली	**0.50**	**5000**	
	जिला सिरोही			
17	बंध भैंसा सिंह	**4.00**	**40000**	
	जिला उदयपुर			
18	बंध आकोदड़ा	**2.00**	**20000**	
	जिला धौलपुर			
19	नदी पार्वती आंगई डैम के नीचे से लेकर सिलावट तक राजस्थान उत्तर प्रदेश सीमा	**3.50**	**35000**	
	जिला बूंदी			
20	नदी खुराड बन का खेडा से पीपलदा	**1.50**	**15000**	
21	नदी मांगली	**2.70**	**27000**	
22	नदी घोडा पछाड (फाटी शिला गरडदा से बन का खेडा तक मय एनीकटस)	**4.00**	**40000**	
23	बंध इन्द्रगढ़ तालाब (इन्द्रगढ़)	**0.10**	**1000**	
	जिला चित्तौडगढ़			
25	नदी मोडिया महादेव मोडिया महादेव बंध से लेकर बंध बस्सी केवडिया गांव तक (सैन्चयूरी एरिया छोडकर) बस्सी केवडिया गांव तक (सैन्चयूरी एरिया छोडकर)	**1.00**	**10000**	
26	नदी बागन, बागन डेम के नीचे से लेकर भूतिया गांव एनीकट तक	**0.70**	**7000**	
27	नदी औराई बस्सी डेम के आवरफ्लो से भेडंच नदी तक	**0.40**	**4000**	

बोलीदााता के हस्ताक्षर